



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15062022-236582
CG-DL-E-15062022-236582

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2602]
No. 2602]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 14, 2022/ज्येष्ठ 24, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 14, 2022/JYAISHTHA 24, 1944

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2022

का.आ. 2734(अ).—केंद्र सरकार, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 37) द्वारा यथा संशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा कुलपति, असम केंद्रीय विश्वविद्यालय को प्रोफेसर दिलीप चन्द्र नाथ, कुलपति, असम विश्वविद्यालय, सिल्चर (असम) के स्थान पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, गुवाहाटी के संस्थान निकाय के सदस्य के रूप में नामित करती है, और उस प्रयोजन से दिनांक 20 मार्च, 2020 के का.आ. 1183 (अ) के द्वारा भारत के राजपत्र भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 11 मार्च, 2020 की अधिसूचना संख्या जेड-28016/178/2019-पीएमएसएसवाई-IV में निम्नलिखित संशोधन करती है:

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टि में, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“धारा 4 के खंड (क) के अंतर्गत सदस्य:

“1. कुलपति, असम केंद्रीय विश्वविद्यालय”

सदस्य का कार्यकाल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 6 में निहित प्रावधानों द्वारा शासित किया जाएगा।

[फा. सं. जैड-28016/178/2019-पीएमएसएसवाई-IV]

नीलाम्बुज शरण, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th June, 2022

S.O. 2734(E).—In exercise of powers conferred by Section 4 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956) as amended by All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012), the Central Government hereby nominates Vice Chancellor, Assam Central University to be member of Institute Body of All India Institute of Medical Sciences, Guwahati in place of Prof. Dilip Chandra Nath, Vice Chancellor, Assam University, Silchar (Assam), and for that purpose makes the following amendment in the notification of Government of India, Ministry of Health & Family Welfare , Number Z-28016/178/2019-PMSSY-IV dated the 11th March, 2020 published in the Gazette of India Part II, section 3 , Sub-Section (ii) vide SO 1183 (E) dated the 20th March, 2020:

In the said notification, for serial number 1 and the entry relating thereto, the following should be substituted, namely: -

“Member under clause (aa) of Section 4:

“1. **Vice Chancellor, Assam Central University**”

The terms of office of member shall be governed by the provisions contained in Section 6 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956.

[F. No. Z-28016/178/2019-PMSSY.IV]

NILAMBUJ SHARAN, Economic Advisor